न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

दायर दिनांक **21.12.2018**

वाद संख्या: **2018/376**

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादी
1. भंवराराम पुत्र चन्द्राराम, जाति जाट, उम्र 56 वर्ष, निवासी मोड़ियावट, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम**	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

(अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट0)

उपस्थित :—

1. रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

दिनांक **24.12.2018**

—:: निर्णय ::—

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी खेत खसरा संख्या 445 रकबा 3.6500 हैक्टर, खसरा संख्या 490 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 491 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 492 रकबा 5.4400 हैक्टर व खसरा संख्या 509 रकबा 0.2400 हैक्टर कुल 9.4700 हैक्टर वाके मोड़ियावट स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिंस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी की वाद के साथ पेश है, तथा उक्त खेतो की खातेदारी में वादी भंवराराम के नाम के अंकन की बजाय भंवरलाल सहव से दर्ज हो गया, जबकि मेरा सही नाम भंवराराम है तथा उसके पारिवारिक राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व बैंक की पास बुक आदी सभी जगह भंवराराम पुत्र चन्द्राराम नाम दर्ज है। तथा उक्त खेतो की खातेदारी में वादी के नाम का गलत अंकन हो जाने के कारण सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में अड़चने आने लग गयी है, वादी अपने नाम के गलत अंकन (भंवरलाल) को सही करवाना चाहता है जिसका वह कानूनन हकदार है। तथा उक्त खेतो के खातेदारो की खातेदारी यथावत रहेगी, और उनके खिलाफ कोई सहायता नहीं चाही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल सम्वत् 2073 प्रदर्श—1 है, परिवार कार्ड प्रदर्श —2 है, निर्वाचन कार्ड प्रदर्श —3 है, आधार कार्ड प्रदर्श —4 है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मोड़ियावट में स्थित खेत खसरा संख्या 445 रकबा 3.6500 हैक्टर, खसरा संख्या 490 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 491 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 492 रकबा 5.4400 व खसरा संख्या 509 रकबा 0.2400 हैक्टर भूमि में भंवरलाल पुत्र चन्द्राराम की जगह भवरांराम पुत्र चन्द्राराम किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2018/376** दायर दिनांक **21.12.2018**

वादीगण		प्रतिवादी
1. भंवरराम पुत्र चन्द्राराम, उम्र 56 वर्ष, जाति जाट, निवासी मोड़ियावट, डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम**	1. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत् 136 लेण्ड रेवन्यू Act.

दिनांक :– 24.12.2018

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा मोड़ियावट, तहसील डीडवाना के आराजी खेत खसरा संख्या 445, 490, 491, 492, 509 में खातेदार भंवरलाल पुत्र चन्द्राराम की जगह भंवरराम दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–.............बाबत............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.12.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

Scanned by CamScanner